

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)


कार्यवाही पत्र सं:	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
139/2013	53,88,89,91,92,188 RTA	निपानियां	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सामकेशन	बनाम	मदन वगै०	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
30-10-13	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,91,92,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 04.12.2013 को पेश हो।	
4-12-13	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20-1-14 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारा	
20-1-14	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24-2-14 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारा	
24-2-14	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7-4-14 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा / बारा	
9-4-14	पत्रावली पेश हुई वकील काही उप.। जांच करी के। की कोट है श्री सुदेश शर्मा एड वरुं जांच करी सं. 2 ता 8 श्री कोट है श्री राजेश कुमार एड का ककाउर का पेश हुआ जांच करी के। की कोट है इजाजती गवाह पेश हुआ वकील काही को डिगारु गरु, पत्रावली काही गवाह जांच करी सं. 2 ता 8 दिनांक 12-5-14 को पेश हो।	

6/21

अन्य पीनकारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/8/21 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

25/10/21

प्रशासन गांवों के सग आभियान-2021 शिविर निष्पत्ति पर पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 28/12/21 को पेश हो।


28/2/22

अन्य पीनकारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/2/22 को पेश हो।


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

6/22

अन्य पीनकारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 25/5/22 को पेश हो।


रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

25/5/22

पत्रावली पेश हुई। कमील प्रतीति अनुपस्थित। तीस बार श्रावण पुनरवाई गई। वादी व पक्षकार कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण अदम हाजरी अदम परवी कारिज सिधा जाता है। पत्रावली फेशल शुकर होकर दारिज दफतर हो।